2018 / 00167

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यालय विवाह अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन, श्रीगंगानगर
विवाह अधिकारी – नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.
विवाह आवेदन पत्र दिनांक 12.06.2017
द्वारा
श्री लखविन्द्र सिंह एवं श्रीमती ईशा
उपस्थित : श्रीभारतभूषण नागपाल अधिवक्ता व विवाह के पक्षकारान
आदेश प्रार्थना पत्र दिनांकः 15.10.2018 अप्रैल, 2018

विवाह के पक्षकार श्री लखविन्द्र सिंह एवं श्रीमती ईशा ने संयुक्त रूप से जरिये अधिवक्ता श्री भारतभूषण नागपाल – विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.06.2017 को प्रस्तुत कर विवाह अनुष्ठापित कराने का निवेदन किया है।

आवेदन पत्र के साथ प्रार्थीगण ने स्वंय के हल्फनामे एवं तीन अन्य गवाहन के शपथ पत्र पेश किये हैं। प्रार्थना पत्र के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेजात की फोटो प्रतियॉ पेश की गई है।

आवेदन पत्र दिनांक 23.06.2017 को पेश किया था। निर्धारित शुल्क दिनांक 29.06.2017 को जमा हो चुका था। दिनांक 30.06.2017 को तीस दिवस की आपति सूचना पत्र जारी किये गये थे। कोई आपति प्राप्त न होने पर, विवाह के पक्षकार के अधिवक्ता को सूचित कर अपेक्षा की गई थी कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 14 के अन्तर्गत 90 दिवस की अवधि निर्धारित की हुई है। अतः उक्त नियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में विवाह के पक्षकारान, गवाहान के साथ उपस्थित होकर विवाह अनुष्ठापन की कार्यवाही सम्पन्न करावें अन्यथा बाद गुजरने मियाद धारा 14 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक 23.06.2017 की पालना में विवाह के पक्षकारान के अधिवक्ता आदिनांक तक उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में विवाह अनुष्ठापन की नियमानुसार कार्यवाही करवाई है।

अतः विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत तीन मास की अवधि के भीतर विवाह का अनुष्ठापन न होने पर सब अन्य कार्यवाहियॉ व्यपगत हुई समझी जायेंगी। ऐसी स्थिति में धारा 14 के अनुसरण में तीस माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा अधिवक्ता को सूचित करने के बावजूदं विवाह के पक्षकारान द्वारा कोई कार्यवाही न करने के कारण, विवाह का अनुष्ठापन विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

फलस्वरूप, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 14 के उल्लघंन में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10/18

(नखतदान बारहठ)
विवाह अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

Scanned by CamScanner